तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म ...
16/7/24	अधिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित। बहस प्रकरण अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गई। अधिवक्ता वादीगण ने धारा 53 RCA को विड्रो की अनुमति चाही है। चूंकि वादीगण वाद पत्र से धारा 53 RCA विड्रो करना चाहते है अतः वाद पत्र से धारा 53 RCA के अलग किए जाते हैं। संक्षेप मे विवरण प्रकरण इस प्रकार हैं कि वादीगण के विरुद्ध प्रतिवादी गण वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88-188-53 RCA इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादीगण के दादाजी, प्रतिवादी संख्या 01 के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 2 के पति श्री जोधराज उर्फ जोधराम के की पुश्तैनी पैतृक कृषि भूमि आ० नं. 106/0.44, 107/0.16, 109/0.18, 110/0.25, 113/0.17, 114/0.12, 115/0.12, 116/0.14 कीता 8 रकबा 1.28 हे० ग्राम सुरजपोल मे स्थित है। उक्त कृषि भूमि पूर्व मे संवत् 2041 से 2044 की जमाबन्दी के अनुसार वादीगण के दादाजी, प्रतिवादी 1 के पिता प्रतिवादी 2 के पति जोधराज उर्फ जोधराम तथा उनके भाई जयराम, कन्हैयालाल, मोहनलाल पिता सीताराम जी कुमावत के नाम पर राजस्व अभिलेख मे अंकित थी। जोधराज उर्फ जोधराम की मृत्यु होजाने से विरासत से खाता उनके पुत्र प्रतिवादी सं.01 व पत्नी प्रतिवादी सं.02 के नाम पर अंकन हुआ एवं जयराम की मृत्यु हो जाने से उनकी पत्नी प्रतिवादी सं.03 के नाम ---लगातार (बीनू देवल) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)	

FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

मुकाम

बनाम

वाद नं. 184 सन् 2018

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
पर विरासत से अंकन हुआ। मोहनलाल का नाम न्यायालय के आदेश व डिक्री से हटाया गया। इस प्रकार यह भूमि वर्तमान जमाबन्दी के आधार पर प्रतिवादी संख्या 01 से 04 के नाम पर अंकित है, और इसमें प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 04 का 1/3 हिस्सा निहित है। इस प्रकार यह भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की पैतृक व पुश्तैनी सम्पत्ति है। वादीगण जोधराज उर्फ जोधाराम के पौत्र पौत्री व प्रतिवादी 01 के पुत्र-पुत्री होने से वादीगण का पैदाइशी हक पैदा हो चुका है, और वादीगण का उक्त भूमि में हक हिस्सा निहित हो चुका है। इसलिए प्रत्येक वादी का 1/21-1/21 वां हिस्सा यानि सभी वादीगण का संयुक्त रूप से 5/21 वाँ हिस्सा के खातेदारी अधिकारों की घोषणा करा राजस्व अभिलेख में अपना नाम अंकित कराना चाहते है, जिसके घोषणा का वाद प्रस्तुत है। प्रतिवादी सं. 01 व 02 वादीगण की बिना जानकारी व सहमति के चाला-चाला उक्त भूमि में से वादीगण के अपने निहित हिस्से ---- लगातार (बीनू देवल) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	को भी अपना बताकर सम्पूर्ण 1/3 हिस्से को अन्य व्यक्तियों को विक्रय करना चाह रहे हैं जिसका उन्हें कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है इसलिए प्रतिवादी संख्या 01 व 02 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित होने से यह वाद स्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध प्रतिवादी 1,2 प्रस्तुत किया जा रहा है। वादीगण का खाता अलग करना चाहते व अलग-अलग खाता कायम करना चाहते हैं जिसके विभाजन हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है यह वाद विभाजन हेतु दिनांक 15.7.2018 को, वाद हेतु दिनांक 15.7.2018 को, प्रतिवादी सं. 1,2 के द्वारा अन्य व्यक्तियों को भूमि विक्रय करने की जानकारी होने से व उनको भूमि विक्रय नहीं करने हेतु कहने पर भी नहीं मानने से पैदा होकर निरन्तर जारी होना बताकर अन्त में वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि में प्रतिवादी 1,2 के निहित 1/3 में से सभी वादीगण का संयुक्त रूप से 1/3 में से सभी वादीगण का 5/21 वां हिस्सा 5/7 वाँ हिस्सा यानि कुल का 5/21 वां हिस्सा की खातेदारी अधिकारी की घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा विरुद्ध प्रतिवादी 1,2 तथा वादीगण एवं प्रतिवादी 1,2, प्रति. 3, प्रति. 4 का हिस्सा अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन कराया जाकर खाता अलग-अलग कायम कराये जाने बाबत निवेदन किया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिए नोटिस प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी 01 से 03 की ओर से अधिवक्ता .... लगातार
	(वीनू देवल) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
ओंकारलाल कुमावत ने उपस्थित होकर प्रतिवादी संख्या 5 की मृत्यु हो जाने से उनके विधिक वारिसान को प्रतिवादी 5/1 से 5/3 के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया। प्रतिवादी 5/1 से 5/3 के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। प्रतिवादी संख्या 01 से 03 द्वारा इकबालिया जवाब प्रस्तुत किया गया जिससे वाद बिन्दु कायम नहीं किए गए। वादी प्रकाश कुमावत ने बयान शपथ पत्र प्रस्तुत कर दस्तावेज नकल जमाबन्दी सम्वत् 2069-2072 ग्राम सुरजपोल खाता संख्या 275 प्रदर्श-1, नकल जमाबन्दी ग्राम सुरजपोल खाता संख्या 192 सम्वत् 2051-2054 प्रदर्श 2, नक्शा ट्रेस प्रदर्श 3 के रूप में प्रदर्शित कराए। ~~प्रतिवादीगण [illegible]~~ अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने गवाह PW1 से जिरह नहीं की एवं न ही प्रतिवादीगण की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत की गई। हमने पत्रावली का गहनता से अध्ययन कर अधिवक्ता उभय पक्ष बहस पर चिन्तन मनन किया। अधिवक्ता वादी ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादीगण की वाद पत्र खातेदारी घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का स्वीकार फरमावे। अधिवक्ता प्रतिवादीगण --- लगातार। (बीनू देवल) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

ने निवेदन किया कि वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाने मे उन्हे कोई आपत्ति नही है। वादग्रस्त कृषि भूमि वादीगण की पैतृक एवं पुश्तैनी होने की पुष्टि पटवारी रिपोर्ट से होती है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत इकबालिया जवाब के आधार पर वादीगण का वाद पत्र प्रमाणित पाया जाता है।

अतः वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88-188 RTA स्वीकार किया जाकर ग्राम सुरजपोल तहसील कपासन के खाता संख्या 275 मे वर्णित आराजी नम्बर 106, 107, 109, 110, 113, 114, 115, 116 कीता 8 कुल रकबा 1.28 हे. मे प्रतिवादी संख्या 01 राधेश्याम पिता जोधराम उर्फ जोधराज तथा प्रतिवादी संख्या 02 श्रीमती शान्ता बाई बेवा जोधराम उर्फ जोधराज कुमावत के निहित 1/3 हक हिस्सा मे से वादीगण 01 ता 05 को प्रत्येक को 1/21 - 1/21 वां हिस्सा के खातेदार घोषित किया जाता है। इसी अनुरूप वादीगण के नाम राजस्व अभिलेख मे अंकित किए जाने के आदेश दिए जाते है तथा प्रतिवादी संख्या 1, 2 को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा इस कदर पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण के घोषित हक हिस्से को अन्य किसी को रहन, विक्रय या किसी प्रकार से हस्तान्तरित नही करें।

निर्णय लिखवाया जाकर सुनाया गया। निर्णयानुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली कार्यालय में जमा हो। नकल नक्शा से कामयाबी हो।

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

AnyScanner